प्रेस नोट दिनांक 14.11.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ 01 अभियुक्त मो0 सेयाद को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हैसीजयचन्द के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 आशाराम, हे0का0 रविशंकर द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हैसीजयचन्द के पास से 01 अभियुक्त, 01. मो0 सेयाद पुत्र गुलहसन नि0रामपुर बंतरी थाना मान्धाता प्रतापगढ उम्र 23 वर्ष के कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामदगी के संबंध में थाना मान्धाता में मु0अ0सं0 165/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 सेयाद पुत्र गुलहसन नि0रामपुर बंतरी थाना मान्धाता प्रतापगढ उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी- 01 अदद तमंचा देशी नाजायज 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रभात वर्मा मय हमराह हे0का0 आशाराम, हे0का0 रविशंकर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.11.2025
थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना कंधई पुलिस द्वारा 08 अदद देशी नाजायज बम, 2 किलो 972 ग्राम बारूद काला रंग पावडर व 3 किलो 992 ग्राम बारूद सिल्वर रंग पाउडर के साथ 01 अभियुक्त मो0 शोहराब को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत आतिशबाजी पटाखा गोदाम, ग्राम पुरे पांडे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, उ0नि0 पवन यादव, उ0नि0 सुभाष चंद, हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 अनुराग द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत आतिशबाजी पटाखा गोदाम, ग्राम पुरे पांडे के पास से 01 अभियुक्त, मो0 शोहराब पुत्र मो० इसराइल निवासी ग्राम पुरे पांडे दीवानगंज थाना कंधई प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष के कब्जे से 08 अदद देशी नाजायज बम, 2 किलो 972 ग्राम बारूद काला रंग पावडर व 3 किलो 992 ग्राम बारूद सिल्वर रंग पाउडर के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 08 अदद देशी नाजायज बम, 2 किलो 972 ग्राम बारूद काला रंग पावडर व 3 किलो 992 ग्राम बारूद सिल्वर रंग पाउडर बरामदगी के संबंध में थाना कंधई में मु0अ0सं0 265/25 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि बम को मैं खुद बनाता हूं, मैं इसे कही से लेकर नही आया हूं। इसे बनाने का मैटेरियल मैने गोदाम में रख रखा है, यदि आप कहे तो मैं आपको दिखा सकता है। अभियुक्त ने गोदाम का ताला खोलकर दिखाया, जिसमें अलग अलग रंग के पाउडर मिला। जिसके संबंध में पूछने पर उसने बताया कि यह बारूद है मैं इसी से बनाता हूं, और यह जो बम पकड़ा गया है वह भी इन्ही बारूद से बना हुआ है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मो0 शोहराब पुत्र मो० इसराइल निवासी ग्राम पुरे पांडे दीवानगंज थाना कंधई प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी- 08 अदद देशी नाजायज बम, 2 किलो 972 ग्राम बारूद काला रंग पावडर व 3 किलो 992 ग्राम बारूद सिल्वर रंग पाउडर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह उ0नि0 अमित सिंह, उ0नि0 पवन यादव, उ0नि0 सुभाष चंद, हे0का0 राजकुमार कुशवाहा, का0 अनुराग थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक-14.11.2025
थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एटीएम फ्रॉड का किया पर्दाफाश— फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 500 रुपए नगद बरामद सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत आईडीबीआई बैंक के ATM (राजापाल टंकी) में कुछ अज्ञात तत्वों द्वारा छेड़छाड़ कर 10,500/- रुपये की हानि की गई, जिस पर थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था-

प्रतापगढ़।
वादी प्रबंधक, आईडीबीआई बैंक, शाखा प्रतापगढ़ ने बताया कि दिनांक 20/10/2025 से विभिन्न तिथियों में बैंक की शाखा प्रतापगढ़ स्थित ATM (राजापाल टंकी के पास) में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कूटरचित तरीके से छेड़छाड़ कर काली पट्टी लगाकर ग्राहकों के पैसे गलत तरीके से निकाले गए, जिससे अब तक कुल 10,500/- रुपये की क्षति हुई है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 581/25 धारा 318(4) बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 सचिन कुमार का0 मनोज कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग से संबंधित से संबंधित 01 अभियुक्त आकिब खान पुत्र मो0 इरशाद नि० ग्राम अचलपुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रातंर्गत रामलीला मैदान रेलवे अन्डर के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 500 रुपए नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी के संबंध में उक्त अभियोग में धारा 336 (3)/340 (2)/338/317 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं, सबीउद्दीन पुत्र मोहम्मद सगीर निवासी सकुहाबाद थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, अनम पुत्र मो0 अनीश नि० बासुपुर थाना लीलापुर और आदिल पुत्र मो० शकील नि० गोपालपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में काम करते थे। हम सब सबीउद्दीन के बताने पर यह सब करते थे। पर कुछ दिन पहले आप लोगो ने सबीउद्दीन को जेल भेज दिया तथा कुछ दिनों पहले राजापाल टंकी पर स्थित आईडीबीआई बैंक एटीएम से चोरी मैने और आदिल ने मिलकर एटीएम में प्लास्टिक प्लेट लगा देते हैं और बाद में आकर जब ग्राहक चला जाता है तो कटर से पैसा चुरा कर चले जाते थे। हम लोगों ने लगभग ₹11000 के करीब चुराए थे, जिसको आपस में बाट लिए थे यह उसी का बचा हुआ रुपया है। आधार कार्ड के सम्बन्ध में बता रहा है कि अपराध करने के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए फिल्मी तरीके से आधारकार्ड को कूटरचित कर फोटो या नाम पता को बदल कर धोखाधड़ी करने के उददेश्य से आधार कार्ड बनाते हैं। जिससे की घटना के उपरान्त बाहर जाकर अपनी पहचान छिपाकर आसानी से पुलिस से बच सके। आज मैं फिर एटीएम से चोरी करने के लिए आया था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. आकिब खान पुत्र मो0 इरशाद नि० ग्राम अचलपुर थाना कोतवाली नगर प्रतापगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी-

01 अदद फर्जी आधार कार्ड व एटीएम फ्राड का 500 रुपए नगद बरामद।

पुलिस टीम-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का0 सचिन कुमार का0 मनोज कुमार थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 14.11.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत थाना पट्टी पुलिस द्वारा 3 किलो 436 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 3940 रुपये नगद के साथ 01 अभियुक्त संतोष सिंह को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी चांदा मार्ग आमापुर मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में "ऑपरेशन प्रहार" प्रभावी रूप से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सतत एवं कठोर कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री अभिषेक कुमार सिरोही के नेतृत्व में उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 अतुल यादव, का0 अभिषेक कुमार, का0 सोनू कुमार द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत पट्टी चांदा मार्ग आमापुर मोड के पास से 01 अभियुक्त, संतोष सिंह पुत्र राम सूरत निवासी ग्राम बीबीपुर बारडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 38 वर्ष के कब्जे से 3 किलो 436 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 3940 रुपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से 3 किलो 436 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 3940 रुपये नगद बरामदगी के संबंध में थाना पट्टी में मु0अ0सं0 322/25 धारा 8/20 NDPS Act का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मेरे हाथ में जो झोला है उसमे नाजायज गांजा है, जिसे बेचने के लिए मैं ग्राहक के इंतजार मे यहा खडा था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष सिंह पुत्र राम सूरत निवासी ग्राम बीबीपुर बारडीह थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0 246/15 धारा 8/20 NDPS Act थाना पट्टी, प्रतापगढ़।

02. मु0अ0सं0 322/25 धारा 8/20 NDPS Act थाना पट्टी, प्रतापगढ़।

बरामदगी- कुल 3 किलो 436 ग्राम अवैध गांजा व गांजा बिक्री का 3940 रुपये नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 गौरव त्रिवेदी मय हमराह उ0नि0 सचिन यादव, उ0नि0 अतुल यादव, का0 अभिषेक कुमार, का0 सोनू कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।